<u>राजस्थान–सरकार</u>

<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)</u>

<u>पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या :– 14/2025

पंजीकरण क्रमांक :– 2025/51

बउनवान

लेखराज पुत्र श्री बजरंगलाल माली निवासी बानपुर तहसील अटरू जिला बारॉ (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, कवाई

(रेस्पोडेन्ट)

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956</u>

उपस्थित :– 1– श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक (अपीलांट)

2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

<u>निर्णय दिनांक 28.07.2025</u>

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कवाई के प्रकरण संख्या 38/2025 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2025 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम बानपुर की सरकारी भूमि किस्म बंजड सम्वत् 2081 मे खसरा नम्बर 340 की रकबा 0.20 हेक्टर भूमि पर फसल गेहूं की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 03 माह की सिविल कारावास की सजा एवं 100/– रूपये तावान राशि से दण्डित किया है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 18.06.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। उक्त अतिक्रमी आराजी अपीलांट की खातेदारी की आराजी से लगवा भूमि है जिस पर अपीलांट गत 30 वर्ष से अधिक समय से निरंतर कब्जा काश्त होने से अपीलांट उक्त आराजी को अपने नाम नियमन/आवंटन करवा पाने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस की तामील नहीं करवाई गई एवं अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया गया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है [illegible] स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त [illegible] उक्त आराजी अपीलांट के नाम नियमन/आवेदन किये जाने के आदेश [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:46:39 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथ[illegible] किया गया कि अपील[illegible] सरकारी भूमि किस्म बंजड पर फसल गेहूं की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट अतिक्रमी के नाम नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा सम्वत् 2081 में अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अतिक्रमित रकबा कम होने से अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

मेरे द्वारा उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने संबंधी नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाना बताया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तामील करवाए गए नोटिस की प्रति उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने बाबत् पूर्व के मिसल नं., निर्णय दिनांक आदि का अंकन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनीकी त्रुटि होना पाया जाता है।

अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कवाई के प्रकरण संख्या 38/2025 में अन्तर्गत एल.आर.एक्ट, 1956 की धारा 91 के तहत पारित आदेश दिनांक 21.03.2025 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई (03 माह) की सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि अपीलांट विवादित आराजी वाके ग्राम बानपुर की किस्म बंजड सम्वत् 2081 मे खसरा नम्बर 340 रकबा 0.20 हेक्टर भूमि से स्वयं का कब्जा हटाकर नायब तहसीलदार, कवाई के समक्ष अन्दर एक माह में शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि मेरे द्वारा उक्त विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया गया है, वर्तमान में उक्त आराजी पर मेरा कब्जा नहीं है एवं भविष्य में भी उक्त राजकीय भूमियों पर कब्जा नहीं करूंगा। प्रकरण में नायब तहसीलदार, कवाई/आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से विवादित भूमि की मौका स्थिति की जांच करवाये। यदि उक्त विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा होना नहीं पाया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कवाई द्वारा प्रकरण संख्या 38/2025 में पारित आदेश दिनांक 21.03.2025 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कवाई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.03.2025 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक **28.07.2025** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति० जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:46:39 IST
Reason: SelfAttested